फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम [illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

संख्या .....171/2021 डायरी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/01/26	पत्रावली पक्षकार वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी [illegible] उपस्थित पाये गये। अग्रिम कार्यवाही हेतु Ring 21/01/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
21/01/26	पत्रावली पक्षकार वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी [illegible] न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण वादी का वाद पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के क्रम से बाद डायरी दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	